

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) सरोज कुमार पिता- कन्हार साव एव 2.) कार्तिक कुमार पिता- गुरुदयाल साव; ग्राम: कुमरांग-कला, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957 अधिनियम के तहत थाना सं. 52, ग्राम: कुमरांग-कला, (गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि) खाता सं.-116, के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित 584/41[1.31], 584/42[0.7], 584/41B[0.36], 575/46D[0.36], 584/38A[0.5], 115/7[0.1]; (रैयती भूमि) खाता सं.-45, के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित 392[0.175], 182[0.08], 203[0.05]; खाता सं.-59, के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित 585[0.22]; खाता सं.-64, के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित 580[0.145]; कुल रकबा: - 4.00 एकड़ (गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी एवं रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) रॉची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (आम्रपाली - चन्द्रगुप्त), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


29/01/25